न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 226–दो/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2001 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 39/2000–01 निगरानी

सुखराम पुत्र चेतराम निवासी ग्राम
रमपुरा तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– राम कुमार पुत्र जगराम
2– श्रीमती चिरोंजा पत्नि स्व.जगराम
निवासीगण रमपुरा तहसील भिण्ड
3– श्रीमती मीरा पुत्री जगराम पत्नि
मुन्नालाल निवासी ग्राम करवास
तहसील गोहद जिला भिण्ड
4– श्रीमती राजावाई पुत्री जगराम पत्नि रामदास
5– श्रीमती गीतावाई पुत्री जगराम पत्नि हजारीलाल
दोनों निवासी ग्राम घनेटा रोड पोरसा
तहसील अम्वाह जिला मुरैना ---असल आवेदकगण
6– वृन्दावन पुत्र उमराव ग्राम रमपुरा
तहसील व जिला भिण्ड ---तरतीवीं अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 11 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 39/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.7.2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रमपुरा स्थित भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 2.59 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के भूमिस्वामी जगराम, विन्द्रावन पुत्र उमराव निवासी ग्राम रमपुरा तथा बाबू सिंह एंव

रामऔतार पुत्रगण सुखलाल निवासी रमपुरा हैं। जगराम व्दारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के समक्ष संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन देकर बटवारे की मांग की, जिस पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 167 अ 27/83-84 दर्ज कर आदेश दिनांक 18-1-95 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 18/94-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-2-1996 से अपील स्वीकार कर सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 18-1-95 निरस्त किया गया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ।

बंदोवस्त कार्यवाही समाप्त होने पर प्रकरण नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी के न्यायालय में पहुंचने पर प्रकरण क्रमांक 6/97-98 अ 27 पर दर्ज हुआ एंव पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान सुखराम पुत्र चेतराम ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश एक नियम दस के अंतर्गत पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-2000 से निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी क्रमांक 37/99-2000 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30.9.2000 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-5-2000 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 39/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2001 से निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर, भिण्ड का आदेश दिनांक 30.9.2000 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम रमपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 26,41,137,281, 389,390,392,414 कुल किता 8 कुल रकबा 2.59 है. के रिकार्डेड भूमिस्वामी जगराम तथा विन्द्रावन पुत्र उमराव, बाबूसिंह, रामऔतार हैं और सहायक बंदोवस्त अधिकारी को जगराम ने बटवारा आवेदन देकर बटवारे की मांग की है। बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 6-2-1996 से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के वाद जब तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 6/97-98 अ 27 दर्ज होकर बटवारा कार्यवाही प्रारंभ हुई, तब सुखराम ने पक्षकार बनाये जाने हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 01 नियम 10 का आवेदन दिया है, जो नायव तहसीलदार व्दारा निरस्त किये जाने पर अपर कलेक्टर भिण्ड ने निगरानी में आदेश दिनांक 30.9.2000 से स्वीकार किया है। विचार योग्य बिन्दु है कि क्या सुखराम वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध है अथवा नहीं ? खसरा सम्बत् 2007 अर्थात सन् 1950 में भूमिस्वामी जगराम का नाम अंकित है तथा खसरा संबत 2014 यानि सन् 1957 में जगराम के नाम पर औव्हर राईटिंग करके जगराम के नाम के स्थान पर जयसीराम किया गया है, जबकि खसरा संबत 2007 अर्थात सन 1950 से लेकर लगातार जगराम का नाम खसरों में अंकित चला आ रहा था जयसीराम नाम का कोई भी सदस्य खातेदार जगराम तथा विन्द्रावन पुत्र उमराव निवासी ग्राम रमपुरा तथा बाबू सिंह एंव रामऔतार पुत्रगण सुखलाल के परिवार में नहीं होने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में आया है। अनावेदक कमांक-6 ने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 15-8-91 से भूमि सर्वे कमांक 309 को जगराम से कय किया है जिसके कारण नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 19-5-2000 से आवेदक व्दारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 का आवेदन निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं

आता है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 30.9.2000 त्रृटिपूर्ण होना पाया गया है, जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 39/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.7.2001 से अपर कलेक्टर भिण्ड के त्रृटिपूर्ण निष्कर्षो पर आधारित आदेश दिनांक 30.9.2000 को निरस्त किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.7.2001 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। रिकार्डेड भूमिस्वामियों के बीच बटवारा प्रकरण वर्ष 1983-84 से अर्थात लगभग 30-31 वर्ष से लम्बित चला आ रहा है। अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर संहिता की धारा 178 में बने बटवारा नियमों के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण 60 दिवस की अवधि में कर देवें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर